राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 31/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर, बांसवाडा,, बांसवाड़ा,राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 23-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री आदित्य सिंह, सहायक अभियन्ता उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 25-12-2016 के द्वारा एमओआरटीएच में वर्ष 2016 में प्रेषित प्रस्तावों की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी का आवेदन कार्यालय में दिनांक 09-01-2017 को प्राप्त हुआ। वांछित सूचना के लिए अपीलार्थी से पत्र दिनांक 25-01-2017 द्वारा 6 पृष्ठ की सूचना के लिए 12 रूपये की मांग की गई। अपीलार्थी ने यह राशि जमा नहीं कराई। प्रथम अपील पेश की जिसका निर्णय दिनांक 20-02-2017 को हुआ जिसमें निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी यदि वांछित शुल्क जमा करा देवे तो सूचना उपलब्ध कराई जावे, लेकिन अपीलार्थी ने राशि जमा नहीं कराई है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक28-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 25-1-2017 व 20-2-2017 संलग्न किये गये हैं।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलार्थी के द्वारा शुल्क जमा नहीं कराने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी यदि वांछित शुल्क जमा करा देवे तो अपीलार्थी को अभिलेखानुसार अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर, सूचना पंजीकृत डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त